

फर्द अहकाम

— ईरालाल बनाम कैलाश

स्थान : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्राथना पत्र/मुकदमा नम्बर : 04/2023

क्र. सं.	आज्ञा	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------	-------	----------------------	-------------

15/7/24

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी आशिवन्ता एवं अप्रार्थी सं. 2, 3, 5 लग 7 के आशिवन्ता उपस्थित। मूल वादपत्र में प्रतिवादी से. 1, 8, 9 के विकट सम्युक्त तामील मान्य जाकर एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः अप्रार्थी सं. 1, 8, 9 के विकट एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 5 लग 7 में प्रार्थना पत्र पर खींचे बहस थी। उन्नयपक्ष आशिवन्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस हुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उन्नयपक्ष आशिवन्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उन्नयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उन्नयपक्ष विवादित आरजी खसरा नं 113, 152, 156, 157, 159, 276 कुल खिा 6 कुल रकबा 3.5028 हेक्टर स्थित ग्राम भूडला तह-तूंगा जि-जयपुर पर ताफैसला वाद के मौजूदे कि यथास्थिति बनाये रखे एवं काश्त के अतिरिक्त अन्य कोई परिवर्तन ना करें।

पत्रावली केसल सुमार होकर नम्बर से कम है।

(Signature)